न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण –निगरानी/260/2018 दायरा दिनांक : 13.07.2018

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्रमम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. **संतोष देवी पत्नी लांलचद जाति कुम्हार निवासी 7 एमसी ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़**

–गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़

:: निर्णय :: दिनांक : 31.10.2022

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 **संतोष देवी पत्नी लांलचद जाति कुम्हार निवासी 7** के नाम से पट्टा संख्या 41 पट्टा बुक संख्या 133 दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकारी नहीं था और ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड़ जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। उक्त जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ उपस्थित आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को भेजे गये नोटिस विधिवत तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के वाबजूद भी गैरनिगरानीकर्तागण अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायते प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 23.01.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टा जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर यह निगरानी देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/योगदान नहीं होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत [illegible] ग्राम [illegible] द्वारा जारी किये गये पट्टों की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] नियम में निगरानीकर्ता ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व [illegible] बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण [illegible] बिंदुओं के आधार [illegible] करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्याय[illegible] धारा 5 मियाद अधि[illegible]कार किया जाता है तथा निगरानी अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:08:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड़ का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (क) के तहत जारी कर दिया जबकि नियमानुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं करवाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

हमने निगरानीकर्ता की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/– राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त प्लाट/भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लाट पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज ग्रम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत निगरानी पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लाट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बीरमाना का पट्टा संख्या 41 दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:08:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner